भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 373

04 फरवरी, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि भूमि

373. श्री कुरुवा गोरांतला माधव:

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकिः

(क) आंध्र प्रदेश और झारखंड सहित देश में राज्य-वार कुल भूमिमें से वर्तमान में कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है;

(ख) क्या देश के विभिन्न भागों में कृषि योग्य भूमि के सिकुड़ने केकारण छोटे किसान/कृषि श्रमिक/कृषि मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरीक्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश और झारखंड सहित तत्संबंधीराज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) कृषि उत्पादन बढ़ाने और कृषि श्रमिकों का शहरी क्षेत्रों कीओर पलायन रोकने के लिए और अधिक भूमि को कृषि के अंतर्गतलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने काप्रस्ताव है?

उत्तर

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री)

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): भू-उपयोग सांख्यिकी पर उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014-15 के लिए देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कृषि/खेती योग्य भूमि की प्रतिशतता का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) तथा (ग): भारत के महापंजीकार द्वारा की गई जनगणना 2011 के अनुसार, देश में कृषि कार्मिकों की कुल संख्या वर्ष2001 में 234.1 मिलियन (127.3 मिलियन कृषक एवं 106.8 मिलियन कृषि श्रमिक) से बढ़कर वर्ष2011 में 263.1 मिलियन (118.8 मिलियन कृषक एवं 144.3 मिलियन कृषि श्रमिक) हो गई है। तथापि, कृषि क्षेत्र में कार्यरत कार्यबल की हिस्सेदारी (जिसमें कृषक एवं कृषि श्रमिक शामिल हैं) वर्ष2001 में 58.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष2011 में 54.6 प्रतिशत हो गई है। भारत में कृषि कार्मिकों के राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रोंसे शहरी क्षेत्रों की ओर कृषि श्रमिकों का पलायन एक सामान्य प्रक्रिया है एवं यहविकासात्मक पद्धति का प्राकृतिक हिस्सा है। इस अंतरण संबंधी कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, उद्योग एवं सेवाओं में बेहतर रोजगार

अवसर, शहरीकरण में वृद्धि, कृषि में कम आय आदि शामिल हैं। भारत जैसी बाजार अर्थव्यवस्था में, बेहतर आर्थिक अवसरों के लिए लोगों का एक जगह से दूसरे जगह जाना असामान्य नहीं है। तथापि, देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति निरंतर है तथा वर्ष 2018-19 के दौरान भी उत्पादन 284.95 मिलियन टनतक अनुमानित है(चौथे अग्रिम अनुमान, 2018-19 के अनुसार)।

(घ): भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार, भूमि राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है, अत:, यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे खेती योग्य भूमि में वृद्धि करने के संबंध में प्रयास करें। तथापि, भारत सरकार विभिन्न फसल विकास योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति करती है तथा सरकार ने पूंजी निवेश में वृद्धि, फार्म व्यवसायों में सुधार, ग्रामीण अवसंरचना, संरक्षित सिंचाई के तहत क्षेत्रों, ऋण की अदायगी, प्रौद्योगिकी, अन्य आदानों, विस्तार, विपणन इत्यादि के माध्यम से कुल फसलीकृत क्षेत्र एवं कृषि उत्पादन को बढ़ाने के संबंध में अनेक उपाय किए हैं। इसके अलावा, सरकार ने किसानों के लिए संस्थागत ऋण में वृद्धि;कृषि उत्पादों के शेल्फ लाइफ में वृद्धि करने के लिए वैज्ञानिक भंडारण अवसंरचना को बढ़ावा देने; प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के माध्यम से सिंचाई तक उन्नत पहुंच; कृषि उत्पाद में मूल्यअस्थिरता को कम करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) के प्रावधान, मृदा स्वास्थ्य कार्डों के लिए योजना, खेती को प्रतिस्पर्धात्मक एवं लाभप्रद बनाने के लिए कृषि तकनीकी अवसंरचना निधि की स्थापना करने, पूर्वोत्तर क्षेत्र में वाणिज्यिक जैविक खेती का विकास करने आदि के माध्यम से कृषि कार्य में किसानों को बरकरार रखने तथा उनके मुनाफे में सुधार करनेकेसंबंध में उपाय किए हैं।

अनुबंध I

दिनांक 04.02.2020 को देय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 373 के भाग (क) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2014-15 के लिए भौगोलिक क्षेत्र में से कृषि/खेती योग्य भूमि की प्रतिशतता का राज्य-वार ब्यौरा

(हजार हेक्टेयर में) (प्रतिशत में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र	कृषि/खेती योग्य भूमि	भौगोलिक क्षेत्र में से कृषि/खेती योग्य भूमि का प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	16276	9047	55.58
अरुणाचल प्रदेश	8374	423	5.06
असम	7844	3364	42.88
बिहार	9416	6579	69.87
छत्तीसगढ़	13519	5558	41.11
गोवा	370	197	53.30
गुजरात	19602	12661	64.59
हरियाणा	4421	3656	82.69
हिमाचल प्रदेश	5567	812	14.58
जम्मू और कश्मीर	22224	1075	4.84
झारखंड	7972	4343	54.48
कर्नाटक	19179	12827	66.88
केरल	3886	2266	58.32
मध्य प्रदेश	30825	17252	55.97
महाराष्ट्र	30771	21099	68.57
मणिपुर	2233	390	17.45
मेघालय	2243	1056	47.08
मिजोरम	2108	367	17.43
नागालैंड	1658	694	41.85
ओडिशा	15571	6784	43.57
पंजाब	5036	4285	85.08
राजस्थान	34224	25511	74.54
सिक्किम	710	97	13.59
तमिलनाडु	13006	8112	62.37
तेलंगाना	11231	6877	61.23
त्रिपुरा	1049	272	25.97
उत्तराखंड	5348	1549	28.96
उत्तर प्रदेश	24093	18939	78.61
पश्चिम बंगाल	8875	5655	63.72
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	825	28	3.37
चंडीगढ़	11	1	13.25
दादरा एवं नगर हवेली	49	24	48.67
दमन और दीव	11	3	26.92
दिल्ली	148	53	35.65
लक्षद्वीप	3	2	78.17
पुदुचैरी	48	29	60.87
अखिल भारत	**328726**	**181886**	**55.33**

स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

अनुबंध -।।

दिनांक 04.02.2020 को देय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 373 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित अनुबंध

भारत में कृषि कार्मिकों की संख्या (मिलियन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषक		कृषि श्रमिक		कुल	
		2001	2011	2001	2011	2001	2011
	अखिल भारत	**127.31**	**118.81**	**106.78**	**144.33**	**234.09**	**263.14**
1	जम्मू और कश्मीर	1.59	1.25	0.25	0.55	1.84	1.80
2	हिमाचल प्रदेश	1.95	2.06	0.09	0.18	2.04	2.24
3	पंजाब	2.07	1.93	1.49	1.59	3.56	3.52
4	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	उत्तराखंड	1.57	1.58	0.26	0.40	1.83	1.98
6	हरियाणा	3.02	2.48	1.28	1.53	4.30	4.01
7	दिल्ली	0.04	0.03	0.02	0.04	0.06	0.07
8	राजस्थान	13.14	13.62	2.52	4.94	15.66	18.56
9	उत्तर प्रदेश	22.17	19.06	13.40	19.94	35.57	39.00
10	बिहार	8.19	7.20	13.42	18.35	21.61	25.55
11	सिक्किम	0.13	0.12	0.02	0.03	0.15	0.15
12	अरूणाचल प्रदेश	0.28	0.30	0.02	0.04	0.30	0.34
13	नागालैंड	0.55	0.54	0.03	0.06	0.58	0.60
14	मणिपुर(3 उप-प्रभागों को छोड़कर)	0.38	0.57	0.11	0.11	0.49	0.69
15	मिजोरम	0.26	0.23	0.03	0.04	0.29	0.27
16	त्रिपुरा	0.31	0.30	0.28	0.35	0.59	0.65
17	मेघालय	0.47	0.49	0.17	0.20	0.64	0.69
18	असम	3.73	4.06	1.26	1.85	4.99	5.91
19	पश्चिम बंगाल	5.65	5.12	7.36	10.19	13.01	15.31
20	झारखंड	3.89	3.81	2.85	4.44	6.74	8.25
21	ओडिशा	4.25	4.10	5.00	6.74	9.25	10.84
22	छत्तीसगढ़	4.31	4.00	3.09	5.09	7.40	9.09
23	मध्य प्रदेश	11.04	9.84	7.40	12.19	18.44	22.03
24	गुजरात	5.80	5.45	5.16	6.84	10.96	12.29
25	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
26	दादरा और नगर हवेली	0.04	0.03	0.01	0.02	0.05	0.05
27	महाराष्ट्र	11.81	12.57	10.82	13.49	22.63	26.06
28	आंध्र प्रदेश	7.86	6.49	13.83	16.97	21.69	23.46
29	कर्नाटक	6.88	6.58	6.23	7.16	13.11	13.74
30	गोवा	0.05	0.03	0.04	0.03	0.09	0.06
31	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	केरल	0.72	0.67	1.62	1.32	2.34	1.99
33	तमिलनाडु	5.12	4.25	8.64	9.61	13.76	13.86
34	पुदुचैरी	0.01	0.01	0.07	0.07	0.08	0.08
35	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.02	0.02	0.01	0.00	0.03	0.02

टिप्पणी: भारत एवं मणिपुर के लिए गणना, 2001 के आंकड़ों में मणिपुर के सेनापति जिले के माओ मरम, पाओमाटा एवं पुरुल उप-प्रभाग शामिल नहीं हैं।

स्रोत: पीसीए, कृषि गणना, 2011

*****